झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 09 फाल्गुन, 1943 (श0) .... को 28 फरवरी, 2022 (ई0) झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01–	ग– 10	सुश्री अम्बा प्रसाद	नवनामांकण कराना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
02–	ग– 15	श्री सुदिव्य कुमार	सुविधा प्रदान करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
03– ✡	का– 14	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	आयोग का गठन।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022
04–	वि– 01	श्री सरयू राय	विसंगती दूर करना।	वित्त	22.02.2022
05– ✡	का– 08	श्री भानु प्रताप शाही	पदस्थापन करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022
06–	का– 05	श्री अमित कुमार मंडल	क्षेत्रीय भाषा को जोड़ना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022
07–	का– 13	सुश्री अम्बा प्रसाद	पद सृजित करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022
08– ✡	का– 07	श्री भानु प्रताप शाही	घोषणाओं पर अमल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022

✡ का-14-का० प्र० सु० एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक-1150, दि०-23-02-22 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।
✡ का-08-का० प्र० सु० एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक-1149, दि०-23-02-22 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।
✡ का 07-का० प्र० सु० एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक-1147, दि०-23-02-22 द्वारा पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित।

01.	02.		03.	04.	05.	06
09–	ग–	11	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेंहता	विशेष कोटे का गठन करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
10–	ग–	09	श्री अमित कुमार मंडल	अनुपालन कराना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
11–	ग–	16	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा राशि का भुगतान।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
12–	का–	01	श्री कमलेश कुमार सिंह	नियुक्ति करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17.02.2022
13–	ग–	01	श्री आलोक कुमार चौरसिया	नियुक्त करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.2022
14–	ग–	06	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	मॉडल थाना के रूप में विकसित करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.2022
15–	ग–	07	श्री बंधु तिर्की	नियुक्त करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
16–	का–	15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	कार्रवाई करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022
17–	म–	01	श्री बिरंची नारायण	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	मंत्रिमंडल सचि0 एवं निगरानी	22.02.2022
18–	का–	06	डॉ0 सरफराज अहमद	समिति का गठन।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22.02.2022
19–	मनि–	01	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मतदान केन्द्र स्थापित करना।	मंत्रीमंडल (निर्वाचन)	22.02.2022
20–	ग–	14	श्री सुदिव्य कुमार	मानक के अनुरूप व्यवस्था।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
21–	ग–	12	श्री उमाशंकर अकेला	प्रोन्नती देना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022
22–	ग–	13	श्री मनिष जायसवाल	सुनवाई करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	22.02.2022

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
23— मनि— 02	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	चुनाव कराना।	मंत्रीमंडल (निर्वाचन)	22.02.2022	
24— वि— 02	श्री मनीष जायसवाल	चेकबुक निर्गत करना।	वित्त	22.02.2022	
25— ग— 02	श्री कमलेश कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.02.2022	

राँची,
दिनांक— 28 फरवरी, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न—01/2021—....495..../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/02/22

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 25/02/2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न—01/2021—....495..../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/02/22

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 25.02.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न—01/2021—....495..../वि0स0, रांची, दिनांक— 25/02/22

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 25/02/2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

25.02.22

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर ।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के 2020–21 के वार्षिक बजट में 2020–21 के आय–व्यय का बजट अनुमान, 2019–20 के बजट वास्तविक आँकड़े दिये गये हैं तथा पूर्ववर्त्ती वर्षों के बजट में भी ऐसे ही आँकड़े संग्रहित है ?	**उत्तर स्वीकारात्मक ।**
2.	क्या यह बात सही है कि 2020–21 एवं अन्य पूर्ववर्त्ती वर्षों के बजटों में अंकित आय–व्यय के पुनरीक्षित आँकड़ों में तथा उन वर्षों के बजट अनुमान के आँकड़ों में खास अंतर नहीं रहता है, परंतु वास्तविक आय–व्यय और पुनरीक्षित आय–व्यय के आँकड़ों में काफी अंतर रहता है, जो कि पुनरीक्षित आँकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण के प्रति वित्त विभाग में गंभीरता की कमी का द्योतक है ?	वर्षिक बजट में राज्य के विकास के लिए वर्षभर के व्यय के अनुमान के आधार पर बजट तैयार किये जाते हैं और कुछ Unforeseen कारणों के कारण आकस्मिकता निधि से तथा अनुपूरक के माध्यम से बजट में बढ़ोतरी होती रहती है । वर्षभर इसकी समीक्षा होती है, व्यय की प्रत्याशा में ही पुनरीक्षित बजट तैयार किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट एक झलक में वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित आय–व्ययक 80007.05 करोड़ रुपये के विरूद्ध वास्तविक व्यय 73,853.84 करोड़ रुपये है, जिसका प्रतिशत् 92.31 है । वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट एक झलक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित आय व्यय 84913.66 करोड़ रुपये के विरूद्ध वास्तविक व्यय 70,731.69 करोड़ रुपये है, जिसका प्रतिशत् 83.30 है । उसी तरह वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट एक झलक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के पुनरीक्षित आय–व्यय 80,623.41 करोड़ रुपये के विरूद्ध वास्तविक व्यय 65511.90 करोड़ रुपये है, जिसका प्रतिशत् 81.26 है । उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार लगातार प्रयासरत है कि पुनरीक्षित आय–व्यय एवं वास्तविक व्यय में अन्तर क्रम–से–कम हो ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि वास्तविक आय–व्यय और आय–व्यय के बजट अनुमानों एवं पुनरीक्षित अनुमानों के बीच आँकड़ों में भारी अंतर होने का कारण क्या है और इस विसंगति को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?	पुनरीक्षित आय–व्यय की बजट अनुमान है एवं व्यय की प्रत्याशा में ही पुनरीक्षित आय–व्यय तैयार किये जाते हैं । सरकार के व्यय को प्रभावित करने वाले कई कारक है; जैसे राज्य का अपना कर एवं गैर कर राजस्व (State Own Tax and Non Tax Revenue), भारत सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति (वित्त आयोग की राशि सहित) F.R.B.M. के अन्तर्गत राज्य की Fiscal Space के अन्दर ऋण लेने की क्षमता, ये सभी कारक राज्य के व्यय को प्रभावित करते हैं । राज्य सरकार अपने सतत् प्रयास एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व जुटाती है और उसका व्यय करती हैं ।

झारखण्ड सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–03 / 2022 / ......132/वि० **राँची, दिनांक :** 26/02/2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–168 / वि०स०, दिनांक–22.02.2022 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.02.2022

(बिनय कुमार सिंकू)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(6)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना प्रमंडल समेत गोड्डा जिलान्तर्गत कुर्मी/कुड़मी की जनसंख्या– 18–20 प्रतिशत है, जिसकी मात्र (क्षेत्रीय) भाषा कुड़माली/कुरमाली है;	जनगणना निदेशालय भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा जिला अन्तर्गत करमाली (Karmali) भाषा भाषियों की संख्या 37,234 है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिलास्तरीय 3 एवं 4 वर्ग की नौकरियों में गोड्डा जिलान्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में कुड़माली/कुरमाली को नहीं जोड़ा गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्यस्तरीय नौकरियों में कुड़माली /कुरमाली को जोड़ना व जिलास्तरीय नौकरियों में आबादी के अनुसार कुड़माली/ कुरमाली भाषा को गोड्डा जिलान्तर्गत 3 एवं 4 वर्ग की नौकरियों में स्थान ना मिलना प्रशासनिक त्रुटि को दर्शाता है;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्यस्तरीय विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पत्र 2 में कुल 12 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुरमाली भाषा भी शामिल है। उक्त 12 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा को विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा चयन करने का प्रावधान है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची की अधिसूचना संख्या 953 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 हेतु जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है। उक्त सूची में राँची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ एवं खूँटी जिला के लिए कुरमाली को शामिल किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संथालपरगना समेत गोड्डा अन्तर्गत जिला स्तरीय 3 एवं 4 वर्ग के नौकरियों में कुड़माली/कुरमाली को क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषाओं के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–10/2022 का0.........1184......./राँची दिनांक– 25 फरवरी, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 158 दिनांक 22.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2022
सरकार के उप सचिव।

(8)

श्री भानु प्रताप शाही, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"का0–07" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि वर्तमान सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 25 करोड़ राशि तक काम के लिए निविदा में झारखण्ड राज्य के संवेदक ही भाग लेंगे ; 2. क्या यह बात सही है कि 25 करोड़ राशि के काम में राज्य के बाहर के संवेदक निविदा में भाग ले रहे है, जिससे राज्य के संवेदक असहज महसूस कर रहे हैं ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपनी घोषणाओं के ऊपर अमल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता–2012 में प्रश्नगत प्रावधान नहीं है। सम्प्रति संहिता द्वारा सीमा का प्रतिबन्ध न होकर खुले तथा सार्वजनिक तौर पर निविदा का उपबन्ध है। जहाँ तक निविदा नियमावली का प्रश्न है, यह विभागवार गठीत है। पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत ढ़ाई करोड़ लागत के कार्यों के लिए निबंधित संवेदक की अनिवार्यता निर्धारित है तथा जिससे अधीक लागत की निविदाओं में अनिबंधित संवेदक भी निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्यावंटन के पश्चात उन्हें निबंधन कराना अनिवार्य है तथा संवेदक निबंधन हेतु सीमा का बन्धेज नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06 / 2022 721(5) राँची / दिनांक : 25/02/22

प्रतिलिपिः– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–163, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(हस्ताक्षर) 25/2
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06 / 2022 721(5) राँची / दिनांक : 25/02/22

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(हस्ताक्षर) 25/2
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06 / 2022 721(5) राँची / दिनांक : 25/02/22

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 25/2
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(9)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि मानव तस्करी झारखण्ड राज्य की एक गंभीर समस्या है, पलामू जिला विशेषकर अत्यन्त प्रभावित है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में मानव तस्करी से संबंधित वर्ष 2017 में 116 काण्ड, वर्ष 2018 में 120 काण्ड, वर्ष 2019 में 105 काण्ड, वर्ष 2020 में 100 काण्ड एवं वर्ष 2021 में 98 काण्ड प्रतिवेदित हुए है। पलामू जिलान्तर्गत मानव तस्करी से संबंधित वर्ष 2017 में 04 काण्ड, वर्ष 2018 में 06 काण्ड, वर्ष 2019 में 01 काण्ड, वर्ष 2020 में 01 काण्ड एवं वर्ष 2021 में 02 काण्ड प्रतिवेदित हुए है।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला का मनातू प्रखण्ड मानव तस्करी की समस्या से अत्यन्त ग्रसित है, जहाँ मानव तस्करों के द्वारा बच्चे, युवतियों एवं महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाकर महानगरों में ले जाकर बिक्री कर दिया जाता है;	स्वीकारात्मक। मनातू थाना क्षेत्र से संबंधित एक काण्ड दर्ज है। आहतू थाना, शहर काण्ड सं०–04/17, दिनांक–29.06.2017 धारा–363/370 भा०द०वि० एवं 79/81/ जे०जे० एक्ट तथा एस०सी०/एस०टी० एक्ट 3(1)(जी०) काण्ड के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. तसैबर खाँ, पे० सकिल खाँ 2. नगमा खातुन, पे० हसैबर खाँ दोनों ग्राम–बसीखूर्द, थाना–मनातू, जिला–पलामू के विरूद्ध काण्ड दर्ज है तथा आरोप पत्र सं०–04/2017 दि०–27.07.2017, माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग स्क्वायड एवं मानव तस्करी के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मानव तस्करी रोकने के लिए सभी जिलों में **AHTU** थाना सृजित है। ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु सरकार कृत संकल्प है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–04/2022–.....781.../ राँची, दिनांक– 26/02/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–149, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(10)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) झारखण्ड, राँची के कार्यालय ज्ञापांक–38/टी०ए०, दिनांक 08.05.2020 के माध्यम से राज्य के सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचित किया गया है कि जिन महानुभावों के पास 1–3 तक की संख्या में अंगरक्षक उपलब्ध है, उन्हें छोटे हथियार (यथा–कार्रवाइन/पिस्टल आदि) तथा जिन्हें चार से अधिक संख्या में अंगरक्षक उपलब्ध कराये गये है तो उनके सेक्शन पदाधिकारी को एक, ए0के0–47 हथियार उपलब्ध कराये जाने का दिशा निर्देश दिया गया है,	**स्वीकारात्मक।**
2. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत कई माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों को दिशा निर्देश के विरूद्ध ए0के0–47 एवं दो से अधिक अंगरक्षक प्रदान किये गये हैं (जिसकी सूची सरकार के समक्ष उपलब्ध नहीं है),	वस्तु स्थिति यह है कि अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची के कार्यालय ज्ञापांक–13/अभियान, दिनांक–07.01.2022 के माध्यम से विशिष्ट महानुभाव की सुरक्षा में अगर 1–3 तक की संख्या में अंगरक्षक उपलब्ध होने पर छोटा हथियार (यथा कार्रवाईन, पिस्टल आदि) तथा चार या चार से अधिक की संख्या में अंगरक्षक उपलब्ध रहने पर ही सेक्शन पदाधिकारी को ए०के० 47 हथियार निर्गत करने का आदेश दिया गया था तथा 01–03 तक की संख्या में अंगरक्षक रहने पर पूर्व से आवंटित ए0के0–47 आग्नेयास्त्र को वापस लेते हुए छोटा हथियार (यथा कारबाईन, पिस्टल आदि) आवंटित करने का आदेश दिया गया था। साथ ही यह आदेश झारखण्ड राज्य के माननीय मंत्रीगण एवं माननीय विधायकगण के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों पर लागू नहीं होगा, यह भी संसूचित किया गया है। जिला सुरक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त गोड्डा जिला के कार्यालय पत्रांक–298/र0का०, दिनांक–31.01.22 के माध्यम से अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची को सूची भेजी जा चुकी है। गोड्डा जिलान्तर्गत किसी भी माननीय सदस्य व पूर्व सदस्यों को दो से अधिक अंगरक्षक प्रदान नहीं किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे सभी मा० सदस्यों के सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों के ए0के0–47 हथियार को वापस लेते हुए, खण्ड–एक में वर्णित विषय का अनुपालन गोड्डा जिला में भी कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–04/2022.......791....../ राँची, दिनांक–....26/02/2022 ई0

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–153/वि0स0, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\prem\Premanand\Sec 08 Vidhan Sabha Answer.doc 76

(12)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के सभी विभागों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग में कर्मचारियों की लगभग 3 लाख पद रिक्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग में कर्मचारियों के कतिपय पद रिक्त हैं। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों से संबंधित अद्यतन विवरणी उपलब्ध कराने हेतु सभी विभागों को निदेशित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित रिक्त पदों के कारण आमजन की समस्याओं का निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है तथा यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार के अभाव में पलायन को मजबूर है;	अस्वीकारात्मक। उपलब्ध बल एवं संसाधन के माध्यम से आमजनों की समस्याओं का निष्पादन किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तृतीय व चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए पूर्व से गठित परीक्षा संचालन नियमावलियें में विसंगतियों का निराकरण करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/ 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 का गठन किया गया है। उपर्युक्त नई परीक्षा संचालन नियमावलियों के अनुरूप सभी विभागों में पूर्व से गठित नियुक्ति/सेवाशर्त्त नियमावलियों में लगभग 40 से अधिक नियुक्ति/सेवाशर्त्त नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है तथा विभिन्न विभागों से कुल 6838 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गई है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के निमित्त अबतक 06 विज्ञापन प्रकाशित किये जा चुके है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–04/2022 का0 1162 /राँची दिनांक– 24 फरवरी, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 123 दिनांक 17.02.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2022

सरकार के उप सचिव।

(14)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अंतर्गत झरिया तथा जोड़ापोखर थाना के पुराने भवन में उपलब्ध संसाधन यथा–थानेदार कक्ष, प्रतीक्षालय, सिरिस्ता, हाजत तथा थाना में तैनात जवानों के लिए कमरा काफी जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि बेहतर पुलिसिंग सेवा के लिए झरिया तथा जोड़ापोखर थाना में स्वागत कक्ष, प्रतिक्षालय, थानेदार कक्ष, एस0आई0 व ए0एस0आई0 पदाधिकारियों के लिए अनुसंधान कक्ष, ओ0डी0 रूम सिरिस्ता मीटिंग हॉल, कम्प्यूटर रूम महिला–पुरूष अलग–अलग पूछताछ कक्ष/हाजत पुलिस अधिकारियों के लिए रेस्ट रूम, थाना में तैनात जवानों के लिए कमरा बाथरूम तथा किचन की समुचित व्यवस्था जरूरी है;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेहतर पुलिसिंग हेतु झरिया तथा जोड़ापोखर थाना में सभी अत्याधुनिक सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु मॉडल थाना के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिलान्तर्गत झरिया तथा जोरापोखर थाना हेतु नया भवन निर्माण कराये जाने के निमित्त झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉपरेशन लिमिटेड, रांची के द्वारा उक्त दोनों थाना भवनों का डी0पी0आर0 पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में उक्त कार्य योजना हेतु राशि आलेखित नही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में राशि आलेखित होने के उपरांत उक्त दोनों थाना भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–802/2022–792/ रॉंची, दिनांक– 26/02/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–128, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan Ji\Question Budgeg 2022\Questions (Budget) 28.02.2022.doc P-3

(15)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची जिला के ग्रामीण/शहरी पुरूष एवं महिला गृह रक्षकों का रिक्त के आलोक में विज्ञापन सं0–01/2016, दिनांक–03.05.2016 को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गृह रक्षा वाहिणी, हरमू में भर्ती प्रक्रिया वर्ष–2016–2018 तक चली और राँची जिला के सभी प्रखण्डों के अभ्यर्थी की मेधा सूची प्रकाशित हुई थी;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि नियुक्ति नियमावली की सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ईटकी और नगड़ी प्रखण्डों के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया गया है और दलील दी गई कि ये दोनों प्रखण्ड नवनिर्मित हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0–150 दिनांक–18.01.2022 के पारा–3 (ii) राँची जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2016 (पत्रांक–818, दिनांक–15.03.2021 के माध्यम से प्राप्त मेधा सूची) के तहत नगड़ी/इटकी प्रखण्ड में गृह रक्षकों के नामांकन/नवनामांकन हेतु सम्पन्न हुए सम्पूर्ण प्रकिया/निर्गत मेधा सूची को निरस्त किया गया है, क्योंकि नगड़ी एवं इटकी प्रखण्ड प्रकाशित विज्ञापन से आच्छादित नही था।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखण्डों के सफल अभ्यर्थियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०(ता०प्र०)–10/2022–793/ राँची, दिनांक– 26/02/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–152, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले के महागामा विधान सभा क्षेत्र में काफी संख्या रैयतो के खतियान में कौम सरवरिया दर्ज है, जो जातिगत सूची में किसी भी श्रेणी में अंकित नहीं रहने के कारण उन परिवारों का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या–1749, दिनांक–25.02.2015 द्वारा झारखण्ड के पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग से सरवरिया जाति को पिछड़े वर्ग को सम्मिलित करने के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई थी जिसमें वर्तमान समय तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सका है;	अंशतः स्वीकारात्मक। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची के स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरवरिया जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मलित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई लेना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–08 / 2022 का0–1258 / रांची, दिनांक 27.02.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–160, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(17)

श्री विरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2022 के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–म०–01 का उत्तर प्रतिवदेन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–16.11.2021 से बोकारो सहित राज्यभर में सरकार द्वारा अपना महत्वाकांक्षी अभियान "आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार" चलाया गया और दिनांक–28.12.2021 को यह समाप्त हुआ, सरकार ने 6241 कैंप राज्यभर में लगाए, जिसमें राज्यभर से करीब 32.10 लाख लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए, जिसमें 4,56,870 आवेदन स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्याओं से संबंधित, 6,68,854 लाख आवेदन आवास हेतु, 6,39,313 लाख आवेदन राशन कार्ड हेतु, 5,70,317 लाख आवेदन पेंशन हेतु, इत्यादि प्राप्त हुए;	**आंशिक रूप से स्वीकारत्मक।** ➢ राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2021 के अवसर पर दिनांक–15.11.2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" का शुभारंभ किया गया है, जिसे सभी जिलों में दिनांक–16.11.2021 से 28.12.2021 तक आयोजित किया गया (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक–619, दिनांक–13.11.2021) **(अनुलग्नक–I)**। • सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग के पत्रांक–322, दिनांक–26.02.2022 **(अनुलग्नक–II)** के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक–25.02.2022 तक, • राज्यभर में आयोजित कुल कैंप की सं०–6,867 • कुल आवेदनों की सं०–35.95 लाख • स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आवेदनों की सं०–5,13,212 • आवास हेतु आवेदनों की सं०–7,73,380 • राशन कार्ड हेतु आवेदनों की सं०–93,083 • पेंशन हेतु आवेदनों की सं०–4,01,677
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त 32.10 लाख आवेदनों में से 54,774 आवेदन रिजेक्ट हुए और 8,55,758 आवेदन अबतक पेंडिंग हैं, इसमें 3,79,899 राजधानी राँची से, बोकारो से 2,17,333 आवेदन प्राप्त हुए है ?	**आंशिक रूप से स्वीकारत्मक।** • अबतक प्राप्त कुल आवेदनों की सं०–35.95 लाख है, जिसमें से 1,45,435 आवेदन अस्वीकृत हुए है तथा 1,27,912 आवेदन लंबित है। • राँची जिला से प्राप्त कुल आवेदनों की सं०–3,87,091 • बोकारो जिला से प्राप्त कुल आवेदनों की सं०–2,61,981

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कंडिका–3.2 में वर्णित पेंडिंग आवेदनों का यथाशीघ्र निपटारा करने एवं रिजेक्ट हुए 54,774 आवेदनों की पुनः समीक्षा करवाते हुए, समग्र समाधान करवाने एवं इनको राज्य की विकास योजनाओं से जोड़ने और उक्त समस्याओं की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जवाबदेह पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–15.02.2022 को सभी उपायुक्तों के साथ Video Conferencing के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में, "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

ज्ञापांक –*सी०एस०–01/विविध (विधान सभा)–01/2022* 268/ रांची, दिनांक 26 फरवरी, 2022 ई०।

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–170 वि०स०, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.2022

(अजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

पत्रांक–04 / म0म0स0 (समारोह स्था० दि0)–03 / 2021 619 /

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 13 नवम्बर, 2021 ई0।

विषय :– भगवान बिरसा मुण्डा की जयन्ती एवं राज्य स्थापना दिवस 15 नवम्बर, 2021 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भगवान बिरसा मुण्डा की जयन्ती एवं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 09:00 बजे पूरे राज्य में भगवान बिरसा मुण्डा की प्रतिमा / चित्र पर माल्यापर्ण तथा संध्या में उनकी जीवनी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15.11.2021 को भगवान बिरसा मुण्डा के जन्मस्थली उलिहातू (खूँटी) से किया जायेगा। दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 तक की अवधि में उक्त कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 15.11.2021 को अपने–अपने जिलों में भगवान बिरसा मुण्डा की प्रतिमा / चित्र पर माल्यापर्ण, संध्या में उनकी जीवनी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा दिनांक 16.11.2021 से 28.12.2021 तक की अवधि में "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 13.11.21
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–04 / म0म0स0 (समारोह स्था० दि0)–03 / 2021 619 / राँची, दिनांक 13 नवम्बर, 2021 ई0।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13.11.21
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–04 / म0म0स0 (समारोह स्था० दि0)–03 / 2021 619 / राँची, दिनांक 13 नवम्बर, 2021 ई0।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रधान सचिव / सचिव (विभागीय आदेश संख्या–601, दिनांक 10.11.2021 द्वारा नियुक्त जिलों के प्रभारी पदाधिकारी) को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13.11.21
सरकार के प्रधान सचिव

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

(13)

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–3

पत्रांक : ITSec2/vidha-prshn-3/2022/IT – 322 राँची, दिनांक : 26.02.2022

प्रेषक,

सुनील कुमार पोद्दार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

श्री राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
झारखण्ड सरकार।

विषयः विधानसभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–मो0–01 के संदर्भ में "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध कुल स्वीकृत/अस्वीकृत/लम्बित आवेदनों की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक–266 दिनांक 25.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में निदेशानुसार "आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत् प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत/अस्वीकृत/लम्बित आवेदनों की अद्यतन सूचना की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। साथ ही, दिनांक 25.02.2022 तक की अद्यतन स्थिति निम्नवत् हैः–

कुल कैम्प की संख्या– 6,867

कुल आवेदकों की संख्या– 32.57 लाख

कुल आवेदनों की संख्या– 35.95 लाख

स्वीकृत आवेदनों की संख्या– 33.22 लाख

अस्वीकृत आवेदनों की संख्या– 1,45,435

लम्बित आवेदनों की संख्या– 1,27,912

स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आवेदनों की संख्या– 5,13,212

आवास हेतु आवेदनों की संख्या– 7,73,380

राशन कार्ड हेतु आवेदनों की संख्या– 93,083

पेंशन हेतु आवेदनों की संख्या– 4,01,677

राँची जिले में प्राप्त आवेदनों की संख्या– 3,87,091

बोकारो जिले में प्राप्त आवेदनों की संख्या– 2,61,981

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/02/2022

सरकार के अवर सचिव

(18)

डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्यस्तरीय पदों की नियुक्ति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) को 8 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को 6 प्रतिशत आरक्षण देय है जो अन्य ओ0बी0सी0 बाहुल राज्यों की तुलना में सबसे कम है;	अंशतः स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) के अनुसार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को क्रमशः 8 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ओ0बी0सी0 समुदाय के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रभावी आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समिति का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार हेतु समिति का गठन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–07/2022 का0–1235/रांची, दिनांक 26.02.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–159, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

19

डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 मनि–01 का उत्तर।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के नक्सल प्रभावित प्रखण्ड मनातू के पंचायत–बंशीखुर्द के अन्तर्गत ग्राम जगराहा एवं देवीडीह का मतदान केन्द्र 14 किलोमीटर दूर सिलदिलियाखुर्द में है, जंगल, पहाड़ पार करते हुए पगडंडी के रास्ते अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिलान्तर्गत 75–पांकी विधानसभा क्षेत्र के मनातू प्रखण्ड के पंचायत–बंशीखुर्द के अन्तर्गत ग्राम जगराहा एवं देवडीह हेतु मतदान केन्द्र की स्थापना पंचायत भवन, देवडीह में पूर्व में ही की जा चुकी है। वर्ष 2014 से ही उक्त ग्रामों हेतु मतदान केन्द्र पंचायत भवन, देवडीह में स्थापित है।
2	क्या यह बात सही है, कि विषम परिस्थितियों एवं दूरस्थ मतदान केन्द्र होने के कारण ग्रामीणों के मतदान में रूचि नहीं लेने के कारण वे मताधिकार से वंचित रह जाते है ;	अस्वीकारात्मक। प्रश्न की कंडिका 01 में स्थिति स्वतः स्पष्ट है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीणों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु ग्राम देवडीह पंचायत भवन में मतदान केन्द्र स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	प्रश्न की कंडिका 01 में स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग।

ज्ञापांकः–02 / नि0वि0स0प्र0–26–02 / 2022 / 419 राँची / दिनांक–25 / 02 / 2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–172, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

25.2.2022

(हीरा लाल मंडल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव।

(20)

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य की विभिन्न जेलों में कैदियों से मिलने उनके परिजन आते है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के कैदियों से मिलने हेतु वर्तमान में जो व्यवस्था है, वो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं है;	कारा का विषय राज्य की सूची के अंतर्गत आता है। अतः कारा संबंधी सभी राज्यों के अपने–अपने प्रावधान प्रभाव में होते हैं। झारखण्ड में भी राज्य का अपना कारा हस्तक प्रभावी है। फलस्वरूप झारखण्ड कारा हस्तक के नियम–618 एवं 635A के आलोक में राज्य के कैदियों से मुलाकाती निम्न प्रकार की जाती है :– (1) सजाप्राप्त बंदी–माह में एक बार (2) विचाराधीन बंदी–15 दिन में एक बार उक्त के अलावे बंदियों को V.C. के माध्यम से e-mulakati एवं Covid-19 के मद्देनजर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के निमित्त कोविड नियम का पालन करते हुए बंदियों से मुलाकाती करायी जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जेलों में कैदियों से मिलने हेतु राष्ट्रीय मानक के अनुरूप व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–03/2022–...791.../ राँची, दिनांक–26/02/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–145, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(21)

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में वरीय पुलिस उपाधीक्षक तथा अपर पुलिस अधीक्षक पदों पर पदाधिकारियों की प्रोन्नति नहीं किये जाने के कारण प्रशासनिक कामकाज राज्यहित तथा लोकहित में दुष्प्रभावित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय संगठन से प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं राज्य पुलिस सेवा के उपलब्ध पदाधिकारियों से विधि व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक (मूल कोटि) पंक्ति के अर्हता प्राप्त पुलिस पदाधिकारियों को लोकहित तथा न्यायहित में वरीय पुलिस उपाधीक्षक तथा अपर पुलिस अधीक्षक पंक्ति में प्रोन्नति देने तथा निर्धारित कितने पद है तथा कितनी रिक्तियाँ है बताने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, ही तो क्यों?	वर्त्तमान में वरीय पुलिस उपाधीक्षक के कुल–38 पद स्वीकृत है, जिसमें से रिक्ति 37 है। अपर पुलिस अधीक्षक के कुल 39 पद स्वीकृत है, जिसमें से रिक्ति 37 है। उक्त पदों पर प्रोन्नति के विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक–01.12.2020 एवं दिनांक–23.12.2020 को आयोजित हुई थी। इसी बीच कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति पर से रोक हटाने के पश्चात वरीय पुलिस उपाधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8001/2022–792/ राँची, दिनांक– 26/02/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–150, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan Ji\Question Budgeg 2022\Questions (Budget) 28.02.2022.doc P-8

(22)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही अनुमण्डल अन्तर्गत ग्राम–नईटांड, पंचायत–करियातपुर में दिनांक–06.02.2022 को रूपेश पाण्डेय की हत्या उक्त गांव के एक सम्प्रदाय के द्वारा मॉब लिचिंग अन्तर्गत कर दी गई तथा उक्त घटना में 25 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है जिसमें मात्र तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है?	**स्वीकारात्मक।** बरही थाना काण्ड संख्या–59/22, दिनांक–07.02.2022, धारा–147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 302/ 109/120(बी) भा0द0वि0 के तहत सभी 27 (सताईस) नामजद अभियुक्तों एवं अज्ञात महिला व पुरुष के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस काण्ड में प्राथमिकी नामजद अभि० में से पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य शेष अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान एवं छापामारी जारी है।
2. क्या यह बात सही है कि स्व0 रूपेश अपने परिवार का एकलौता पुत्र था जो अपने परिवार का पालन–पोषण करता था,	**स्वीकारात्मक।** वस्तु स्थिति यह है कि स्व0 रूपेश कुमार पाण्डेय, पिता– सिकन्दर पाण्डेय, सा0–नईटांड, पिपराघोघर, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग दो भाई थे, इनके बड़े भाई शुभम कुमार पाण्डेय की मृत्यु करीब 05 वर्ष पूर्व में सांप काटने से हो चुकी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देते हुए उक्त मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम–2016 के तहत मॉब लिचिंग/वायलेंस की घटना के पीड़ित या उसके आश्रित को मुआवजा भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। सरकार ऐसे मामले की त्वरित सुनवाई हेतु कृत संकल्प है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–05/2022......794/ राँची, दिनांक–26/02/2022

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–147/वि0स0, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\prem\Premanand\Sec 08 Vidhan Sabha Answer.doc 75
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(23)

माननीय स0वि0स0 जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा दिनांक 28.02.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– मनि0–02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वागीण विकास हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षो में कराने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक। भारत के संविधान की धारा 243 (E) तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की सुसंगत धाराओं द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल उनके गठन के पश्चात प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक निर्धारित है।
(2) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज्य का चुनाव समयानुसार नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होगी तथा विकास अवरूद्ध होगा;	अस्वीकारात्मक। केन्द्र सरकार द्वारा चालु वित्तीय वर्ष के लिए 15वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान राशि की प्रथम किस्त विमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष के अंत के पूर्व द्वितीय किस्त प्राप्त होने की संभावना है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों के हित में सर्वागीण विकास हेतु अविलम्ब पंचायत राज्य का चुनाव करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां पूर्ण है। तथा आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसा पर राज्य सरकार शीध्र निर्णय लेगी।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–07/2022 —355—/, राँची, दिनांकः–24.02.2022

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 171 दिनांक 22.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–07/2022 —355—/, राँची, दिनांकः–24.02.2022

प्रतिलिपिः– संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, मंत्रीमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 412 दिनांक 23.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–07/2022—355—/, राँची, दिनांकः–24.02.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

24/2/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–07/2022—355—/, राँची, दिनांकः–24.02.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/2/22
सरकार के उप सचिव।

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या - वि–02 का उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, रामगढ़ सहित राज्य के कई अन्य जिलों में पी॰एल॰ एकाउंट का चेक खत्म होने के कारण हजारीबाग नगर निगम, जिला परिषद् एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय की कई योजनाएं अधर में लटक गई है तथा पांच सौ से अधिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी नहीं हो पा रही है?	अस्वीकारात्मक। महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा आवश्यकतानुसार इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) से चेकबुक का मुद्रण कराया जाता है। जिसके उपरांत प्राप्त चेकबुक को कोषागारों के माध्यम से संबंधित पी॰एल॰ खाता/जमा शीर्ष के संचालकों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्राप्त अधियाचना के आधार पर उन्हें आवंटित कर दिया जाता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 138 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कोषागार कार्यालय, राँची को 25 चेकबुक एवं कोषागार कार्यालय, हजारीबाग को 10 चेकबुक उपलब्ध कराया गया है, जिसके उपरांत महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची में दिनांक 24.02.2022 तक कुल 85 गैर–सरकारी चेकबुक उपलब्ध है। रामगढ़ जिला से संबंधित पी॰एल॰ खाता के संचालकों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को हजारीबाग कोषागार के द्वारा चेकबुक उपलब्ध कराया जाता है। कोषागार कार्यालय, हजारीबाग, रामगढ़ एवं राँची से भी चेकबुक की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके आधार पर संबंधित निगम, जिला परिषद् एवं विश्वविद्यालय के पास चेक उपलब्ध है। चेक के अभाव में किसी भी प्रकार का भुगतान प्रभावित नहीं हो रही है।
(2.) क्या यह बात सही है कि चेकबुक की छपाई का कार्य राज्य सरकार द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) में करायी जाती है जिसे पिछले दो वर्षों से चेकबुक छपाई का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है?	अस्वीकारात्मक। महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा आवश्यकतानुसार इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) से चेकबुक का मुद्रण कराया जाता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) से कराये गये मुद्रण के विरूद्ध भुगतान लंबित नहीं है।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित चेकबुक की छपाई का भुगतान यथाशीघ्र कर पुनः नये चेकबुक निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड में चेकबुक उपलब्ध है, जिसे आवश्यकतानुसार कोषागारों को आवंटित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–02/2022... 28/वि॰ (सं)० — राँची/दिनांकः 25/2/2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 169/वि०स०, दिनांक 22.02.2022 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-02-2022
(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(25)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद काण्ड थाना संख्या–161/20, दिनांक–03.07.2020 ए०के०सिंह कॉलेज, जपला में व्याप्त भ्रष्टाचार मे लिप्त लोगो पर नामजद प्राथमिकी दर्ज है एवं 18 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है?	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद थाना काड संख्या 161/2020, दिनांक 03.07.2020 में पर्यवेक्षक पदाधिकारी के कार्यालय के ज्ञापांक 1797/अनु0 दिनांक दिनांक–08.12.2021 के द्वारा अनुसंधानकर्ता को यह निदेश दिया गया है कि इस कांड का प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करने हुए त्वरित गति से अनुसंधान पूर्ण किया जाय, परन्तु अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभी तक अनुसंधान पूर्ण नहीं किया गया है,	स्वीकारात्मक। हुसैनाबाद थाना काड संख्या 161/2020, दिनांक–03.07.2020 में पर्यवेक्षक पदाधिकारी के कार्यालय के ज्ञापांक 1797/अनु0 दिनांक दिनांक–08.12–2021 के द्वारा अनुसंधानकर्ता को कांड में पर्यवेक्षक लंबित बिन्दुओं पर अनुसंधान पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया है साथ ही वरीय पदाधिकारी द्वारा भी इस कांड की समीक्षा की गई है, जिसमें अनुसंधानकर्ता को कई कतिपय विन्दुओं पर अनुसंधान/अभिलेखीय दस्तावेजी समय संकलन करने द्वारा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, इस कांड में यह अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप वर्ष 2008 से चला आ रहा है, जो अभिलेखीय दस्तावेज बैंक विवरणी आदि पर आधारित है। अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोप काफी पुराने एवं अभिलेखीय दस्तावेज प्राप्त कर जप्त करने एवं ठोस साक्ष्य संकलन करने आदि से जुड़े होने के कारण अनुसंधानकर्ता को पुराने अभिलेख प्राप्त करने एवं उसकी जाँच कर अभिलेखीय साक्ष्य संकलन करने में काफी कठिनाइयां हो रही है। कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप के संदर्भ में कुछ बिन्दुओं पर अनुसंधान किया गया है तथा शेष दिये गये बिन्दुओं पर अनुसंधान, अभिलेखीय दस्तावेज को प्राप्त कर ठोस साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसंधान पूर्ण कराते अभियुक्तों हुए नामजद के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–01/2022....795..../ राँची, दिनांक–..26../..02../.....2022 ई0

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–126/वि0स0, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\prem\Premanand\Sec 08 Vidhan Sabha Answer.doc 74
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~